भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 487
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए धर्म परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों की पात्रता

487. श्रीमती शारदा अनिल पटेल :
श्री जगन्नाथ सरकार :
श्री मितेष रमेशभाई पटेल (बकाभाई) :
श्री विजय कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या धर्म परिवर्तन करके ईसाई अथवा इस्लाम धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के मतदाता आरक्षित विधानसभा अथवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पात्र हैं ;
(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कानूनी आधार क्या है ;
(ग) क्या सरकार का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और मौजूदा निर्वाचन नियमावली में संशोधन करने का विचार है, ताकि इसमें दलितों, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए धर्म परिवर्तन करके ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले लोगों की अपात्रता के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सके ;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : आरक्षित विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने की पात्रता निम्नानुसार हैः-

(i) संबंधित नागरिक को, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के अधीन क्रमशः अधिसूचित किया गया है ;

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार, किसी राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान के मामले में संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचन लड़ने के लिए वह यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य हो, चाहे, वह उस राज्य या किसी अन्य राज्य का हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक हो ;

(iii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 5 (क) के उपबंधों के अनुसार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान से विधान सभा का निर्वाचन लडने हेतु वह

यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य हो और उस राज्य के किसी सभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो ;

(iv) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के पैरा 3 के अनुसार ''पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू, सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा ।''।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सुसंगत प्रमाणपत्र समय-समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अथवा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के अधीन जारी किया जाता है और ऐसे प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन नहीं आता है । अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के वैध प्रमाण पत्र के साथ कोई निर्वाचक, उनके लिए आरक्षित किसी भी स्थान से निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र है ।

****